# समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

चतुर्दश बिहार विधान सभा का द्वादश सत्र दिनांक 26 जून, 2009 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 30 जुलाई, 2009 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल 24 बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत चार विधेयकों का एक विवरण सभा पटल पर रखा गया । 15 (पन्द्रह) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

आसन से चतुर्दश बिहार विधान सभा के 18 माननीय सदस्यों द्वारा सदन से अपना स्थान का त्याग करने की सूचना दी गयी ।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक पर सामान्य विचार-विमर्श हुआ तथा माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सरकार की ओर से उत्तर दिया गया । आय-व्ययक में सम्मिलित 14 विभागों के अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद हुआ तदुपरान्त सदन द्वारा स्वीकृत किया गया । शेष माँगे सदन में मुखबंध द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 01 जुलाई, 2009 को माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा बिहार राज्य भंडार निगम का 50वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2006-07 की एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 06 जुलाई, 2009 को ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2007 तक अधिसूचित विनियामक भाग एवं दिनांक 31.12.2008 तक अधिसूचित विनियामक भाग-2 की प्रति पटल पर रखी गई। माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा कनार्टक में रेलवे भर्त्ती बोर्ड की परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की घटना पर सदन में वक्तव्य दिया गया ।

दिनांक 08 जुलाई, 2009 को माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2005, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2005, बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली,

2007, बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006, बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2006 एवं बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त्तें) विनियमावली, 1960 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन विषयक अधिसूचना संख्या-1848, दिनांक 25.02.2006 की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 14 जुलाई, 2009 को माननीय उप-मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2007-08 का बिहार सरकार वित्त लेखे, विनियोग लेखे एवं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सिविल तथा राजस्व प्राप्ति की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा सदन द्वारा जनता में बिक्री का प्रस्ताव पारित हुआ । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 का भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा सदन द्वारा इसकी जनता में बिक्री का प्रस्ताव पारित हुआ ।

दिनांक 20 जुलाई, 2009 को माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्त्ती नियमावली 2007 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माननीय सदस्य, श्री रामदेव वर्मा द्वारा राज्य में भीषण सुखाड़ से किसानों के समक्ष उत्पन्न गंभीर संकट तथा उसके निदान पर विमर्श के प्रस्ताव का विस्तार से उत्तर दिया गया ।

दिनांक 22 जुलाई, 2009 को उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा राजकीय (वित्तीय) विधेयक बिहार विनियोग (संख्या-2), विधेयक, 2009 सभा की अनुमति से सदन में पुरःस्थापित किया गया । दिनांक 23 जुलाई, 2009 को राजकीय (वित्तीय) विधेयक बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2009 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 24 जुलाई, 2009 को वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2009 की धारा 93(3) के तहत अधिसूचना संख्या-एस०ओ० 102, दिनांक 05.06.2009, एस०ओ० 108, दिनांक 16.06.2009 एवं धारा-99 के तहत अधिसूचना संख्या-82, दिनांक 15.05.2009 का एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी । इसके साथ बिहार क्षेत्र में उपभोग व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1993 की धारा 9 के तहत अधिसूचना संख्या एस०ओ०-9, दिनांक 27.02.2009 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी । उक्त दोनों अधिनियम की अधिसूचना सदन पटल पर 14 दिनों तक रहेगी । माननीय मंत्री, संसदीय

कार्य विभाग द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146(2) के तहत बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्ते) संशोधन नियमावली, 2009, अधिसूचना संख्या-166, दिनांक 26.02.2009 एवं अधिसूचना संख्या-799, दिनांक 07.07.2009, बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-419(3) के तहत बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संशोधन नियमावली 2009 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी । इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-419(3) के तहत बिहार नगर निकाय प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्ते) संशोधन नियमावली, 2009 एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146(2) के तहत बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक नियमावली, 2009 की एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी । उक्त नियमावली 10 दिनों तक सदन पटल पर रखे जाने की आसन द्वारा घोषणा की गई ।

वर्ष 2009-10 के लिए प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सन्निहित सभी माँगे सदन द्वारा स्वीकृत हुए ।

माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा राजकीय (वित्तीय) विधेयक बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक 2009 पुरःस्थापित किया गया, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 28 जुलाई, 2009 को माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा बिहार नियोजन आशुलिपिक आशुटंकक सम्वर्ग नियमावली, 2008, बिहार नियोजन, कनीय सांख्यिकी सहायक नियमावली, 2009 एवं बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की धारा 40(5), बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) नियमावली, 2007 सदन पटल पर रखी गयी ।

राजकीय विधेयकों में यथा- (1) बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2009 (2) बिहार भूमि न्यायाधिकरण विधेयक, 2009 (3) बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2009 (4) बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 (5) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009 एवं (6) बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 2009 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 29 जुलाई, 2009 को माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-II के आलोक में वित्तीय वर्ष 2008-09 के बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्ति एवं व्ययों के रूझान की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

सत्र के दौरान कुल- 3070 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । उसमें कुल- 2169 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें 80 अल्पसूचित प्रश्न, 1798 तारांकित प्रश्न तथा 291 अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से 348 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 517 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । 38 प्रश्न अपृष्ठ हुए एवं 1262 प्रश्न अनागत हुए ।

इस सत्र के दरौन कुल- 141 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में विचार-विमर्श हुआ ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के अनेक मामले उठाये गये ।

बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

आज बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में श्री शकुनी चौधरी, स०वि०स० का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ ।

सत्रावधि के दौरान 23 बैठकों में राज्य के 23 जिलों के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राऐं सदन के अन्तराल के पहले की कार्यवाही को देखा । इसमें उक्त जिलों के 25 छात्र एवं 25 छात्राओं ने भाग लिया । इस कार्य में बिहार विधान सभा के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास विभाग तथा श्रम एवं नियोजन विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा पटना वीमेन्स कॉलेज का सहयोग प्राप्त हुआ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

इस सत्र में कुल-337 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 167 स्वीकृत हुए एवं 169 अस्वीकृत हुए । कुल-104 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 62 स्वीकृत एवं 42 अस्वीकृत हुई। इस सत्र में कुल-330 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 46 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 239 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 45 अमान्य हुए ।

इस सत्र में प्रश्नकाल का महुआ टी०वी०, ई०टी०वी०, बिहार एवं सहारा समय के चैनलों से सीधा प्रसारण तथा पटना दूरदर्शन द्वारा डेफर्ड प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इन कार्यों में जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया, उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।